

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पत्रांक-6 एस०एस०(6)33/2022.....6.11...../

मत्स्य/पटना/दिनांक.....10/02/25

आदेश

विभागीय राज्यादेश संख्या 6 एस०एस०(6)33/2022-475, दिनांक-12.02.2024 द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केन्द्र सरकार द्वारा 2023-24 में प्रशासनिक स्वीकृत) हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश ₹62.9427 करोड़ (बासठ करोड़ चौरान्बे लाख सत्ताईस हजार) राशि तथा राज्यांश ₹41.9618 करोड़ (इकतालीस करोड़ छियानबे लाख अठारह हजार) राशि अर्थात् कुल ₹104.9045 करोड़ (एक सौ चार करोड़ नब्बे लाख पैतालीस हजार) मात्र राशि की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹15.7357 करोड़ (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹10.4905 करोड़ (दस करोड़ उनचास लाख पाँच हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹26.2262 करोड़ (छब्बीस करोड़ बाईस लाख बासठ हजार मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई।

इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक-13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक-17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त की ₹12.00 करोड़ (बारह करोड़ मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में विमुक्त की गई है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹12.00 करोड़ (बारह करोड़ मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹8.00 करोड़ (आठ करोड़ मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹20.00 करोड़ (बीस करोड़ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :-

- (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219 का विषय शीर्ष-0219.3301-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010319 के विषय शीर्ष-0319.3301-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- (ii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि की व्यय- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201 के विषय शीर्ष-

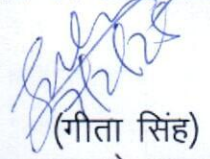
0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890301 के विषय शीर्ष- 0301.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

- (iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960301 के विषय शीर्ष-0301.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- (iv) योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।
- (v) इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म0यो0-17/2020-107, दिनांक 27 जनवरी, 2021, म0यो0-17/2020 (खंड-पे)-1337, दिनांक 8 जुलाई, 2022, म0यो0-17/2020 (खंड-I)-527, दिनांक 30 मार्च, 2024 तथा म0यो0-17/2020 (खंड-पे)-267, दिनांक 15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।
- (vi) Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा-निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।
- (vii) इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी0एफ0एम0एस0-एस0एन0ए0 स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई0एफ0एम0आई0एस0 (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

- (viii) Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।
- (ix) केन्द्र सरकार के F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 17.01.2025 के अनुसार Permission to incur expenditure from out of funds irrespective of funds earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 & 2024-25 for the implementation of PMMSY, also applies for the Mother sanction fund under this scheme.
- (x) इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म0योजना-08/2021-313 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
- (xi) केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश राशि के अनुरूप प्राप्त उपबन्धित राशि से अथवा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट उपबन्ध प्राप्त कर, उक्त राशि की व्यय की स्वीकृति/आदेश सक्षम अधिकार से प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा आगामी वर्षों में किया जाएगा। परन्तु व्यय हेतु स्वीकृति कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।
- (xii) इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।
- (xiii) इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (xiv) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xv) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
- (xvi) योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2024-25 तथा आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।
- (xvii) प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं0-6 एस०एस०(6)33/2022 के पृष्ठ-138/टि0 दिनांक-04.02.2025.

(xviii) आदेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना की सन्मति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)33/2022 के पृष्ठ-136/टि०, डायरी सं०-41 एवं दिनांक-30.01.2025.

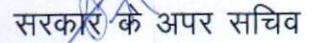
(xix) स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

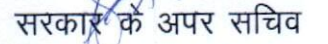
ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

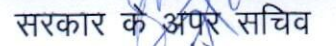
ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०) वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

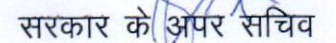
ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

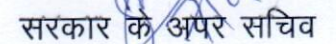
ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित उप आयुक्त/संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)33/2022.....611...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../.....02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(अनुलग्नक-1)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केन्द्र सरकार द्वारा 2023-24 में प्रशासनिक स्वीकृत) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु के द्वितीय किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	8	9
(क)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219 (केन्द्रांश) (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभों हेतु अनुमान अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि)	0219-33.01-सब्सिडी	820.920	निदेशक मत्स्य, बिहार पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (समी)/उप मत्स्य निदेशक (समी)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (समी)	कोषागार: (समी)
	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0) विपत्र कोड-02.2405001010319 (राज्यांश) (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभों हेतु अनुमान अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)	0319-33.01-सब्सिडी	547.280		
योग (क)-(तेरह करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार रुपये मात्र)			1368.200		
(ख)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201 (केन्द्रांश) (अनुसूचित जातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि)	0201-33.01-सब्सिडी	300.000		
	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0) विपत्र कोड-02.2405007890301 (राज्यांश) (अनुसूचित जातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)	0301-33.01-सब्सिडी	200.000		
योग (ख)-(पाँच करोड़ रुपये मात्र)			500.000		
(ग)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201 (केन्द्रांश) (अनुसूचित जनजातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि)	0201-33.01-सब्सिडी	79.080		
	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएमएसवाई0)-विपत्र कोड-02.2405007960301 (राज्यांश) (अनुसूचित जनजातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)	0301-33.01-सब्सिडी	52.720		
योग (ग) (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)			131.800		
कुल योग (केन्द्रांश)- (क) + (ख) + (ग)			1200.000		
कुल योग (राज्यांश)- (क) + (ख) + (ग)			800.000		
महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)- (क) + (ख) + (ग)			2000.000		
(बीस करोड़ रुपये मात्र)					

611
10/02/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक- II

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृत अवयवों का श्रेणीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(राशि लाख में)

क्र० सं०	अवयव	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल लागत राशि	वित्तीय लक्ष्य		लामुक अंशदान	अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश		
1	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन (सं०)	सामान्य	6	25.00	150.00	36.00	24.00	90.00	
		महिला	3		75.00	27.00	18.00	30.00	
		अनुसूचित जाति	2		50.00	18.00	12.00	20.00	
		कुल	11		275.00	81.00	54.00	140.00	
2	नया तालाब का निर्माण (हे०)	सामान्य	260	7.00	1820.00	436.80	291.20	1092.00	
		महिला	113		791.00	284.76	189.84	316.40	
		अनुसूचित जाति	72		504.00	181.44	120.96	201.60	
		अनुसूचित जनजाति	5		35.00	12.60	8.40	14.00	
		कुल	450		3150.00	915.60	610.40	1624.00	
3	निर्मित नया तालाब हेतु उन्नत इनपुट (हे०)	सामान्य	260	4.00	1040.00	249.60	166.40	624.00	
		महिला	113		452.00	162.72	108.48	180.80	
		अनुसूचित जाति	72		288.00	103.68	69.12	115.20	
		अनुसूचित जनजाति	5		20.00	7.20	4.80	8.00	
		कुल	450		1800.00	523.20	348.80	928.00	
4	बायोप्लॉक तालाब का निर्माण (सं०)	सामान्य	174	14.00	2436.00	584.64	389.76	1461.60	
		महिला	75		1050.00	378.00	252.00	420.00	
		अनुसूचित जाति	48		672.00	241.92	161.28	268.80	
		अनुसूचित जनजाति	3		42.00	15.12	10.08	16.80	
		कुल	300		4200.00	1219.68	813.12	2167.20	
5	रिक्रिएशनल मात्स्यिकी का प्रमोशन (सं०)	सामान्य	4	50.00	200.00	48.00	32.00	120.00	
		महिला	3		150.00	54.00	36.00	60.00	
		अनुसूचित जाति	1		50.00	18.00	12.00	20.00	
		कुल	8		400.00	120.00	80.00	200.00	
6	मत्स्य पालन हेतु वृहत बायोप्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 50 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) (सं०)	सामान्य	6	50.00	300.00	72.00	48.00	180.00	
		महिला	3		150.00	54.00	36.00	60.00	
		अनुसूचित जाति	1		50.00	18.00	12.00	20.00	
		कुल	10		500.00	144.00	96.00	260.00	
7	मध्यम आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (30 घन मी० के 6 टैंक, 10 टन/क्रॉप क्षमता) (सं०)	सामान्य	6	25.00	150.00	36.00	24.00	90.00	
		महिला	3		75.00	27.00	18.00	30.00	
		अनुसूचित जाति	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		कुल	10		250.00	72.00	48.00	130.00	
8	मत्स्य पालन हेतु मध्यम बायोप्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 25 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) (सं०)	सामान्य	14	25.00	350.00	84.00	56.00	210.00	
		महिला	7		175.00	63.00	42.00	70.00	
		अनुसूचित जाति	3		75.00	27.00	18.00	30.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		कुल	25		625.00	183.00	122.00	320.00	
9	लघु आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (100 घन मी० का 1 टैंक) (सं०)	सामान्य	16	7.50	120.00	28.80	19.20	72.00	
		महिला	8		60.00	21.60	14.40	24.00	
		अनुसूचित जाति	5		37.50	13.50	9.00	15.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		7.50	2.70	1.80	3.00	
		कुल	30		225.00	66.60	44.40	114.00	

10	मत्स्य पालन हेतु लघु बायोप्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 7 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) (सं०)	सामान्य	174	7.50	1305.00	313.20	208.80	783.00	
		महिला	75		562.50	202.50	135.00	225.00	
		अनुसूचित जाति	48		360.00	129.60	86.40	144.00	
		अनुसूचित जनजाति	3		22.50	8.10	5.40	9.00	
		कुल	300		2250.00	653.40	435.60	1161.00	
11	जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे० 1000 अंगुलिकाएँ 3 रुपये प्रति अंगुलिका के दर से) (हे०)	सामान्य	580	0.03	17.40	4.18	2.78	10.44	
		महिला	250		7.50	2.70	1.80	3.00	
		अनुसूचित जाति	160		4.80	1.73	1.15	1.92	
		अनुसूचित जनजाति	10		0.30	0.11	0.07	0.12	
		कुल	1000		30.00	8.71	5.81	15.48	
12	आर्द्रभूमि में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (प्रति हे० 1000 अंगुलिकाएँ 3 रुपये प्रति अंगुलिका के दर से) (हे०)	सामान्य	1044	0.03	31.32	7.52	5.01	18.79	
		महिला	450		13.50	4.86	3.24	5.40	
		अनुसूचित जाति	288		8.64	3.11	2.07	3.46	
		अनुसूचित जनजाति	18		0.54	0.19	0.13	0.22	
		कुल	1800		54.00	15.68	10.45	27.86	
13	ऑईस-प्लांट/ कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) (सं०)	सामान्य	15	40.00	600.00	144.00	96.00	360.00	
		महिला	8		320.00	115.20	76.80	128.00	
		अनुसूचित जाति	5		200.00	72.00	48.00	80.00	
		अनुसूचित जनजाति	2		80.00	28.80	19.20	32.00	
		कुल	30		1200.00	360.00	240.00	600.00	
14	ऑईस-प्लांट/ कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीजर सहित (सं०)	सामान्य	6	80.00	480.00	115.20	76.80	288.00	
		महिला	3		240.00	86.40	57.60	96.00	
		अनुसूचित जाति	1		80.00	28.80	19.20	32.00	
		कुल	10		800.00	230.40	153.60	416.00	
15	रेफ्रिजरेटेड वाहन (सं०)	सामान्य	6	25.00	150.00	36.00	24.00	90.00	
		महिला	3		75.00	27.00	18.00	30.00	
		अनुसूचित जाति	1		25.00	9.00	6.00	10.00	
		कुल	10		250.00	72.00	48.00	130.00	
16	जिन्दा मछली बिक्रय केन्द्र का निर्माण (सं०)	सामान्य	58	20.00	1160.00	278.40	185.60	696.00	
		महिला	25		500.00	180.00	120.00	200.00	
		अनुसूचित जाति	16		320.00	115.20	76.80	128.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		20.00	7.20	4.80	8.00	
		कुल	100		2000.00	580.80	387.20	1032.00	
17	लघु फीड मील (क्षमता 2 टन प्रतिदिन) (सं०)	सामान्य	58	30.00	1740.00	417.60	278.40	1044.00	
		महिला	25		750.00	270.00	180.00	300.00	
		अनुसूचित जाति	16		480.00	172.80	115.20	192.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		30.00	10.80	7.20	12.00	
		कुल	100		3000.00	871.20	580.80	1548.00	
18	फिश किऑस्क का निर्माण (एक्वेरियम एवं अलंकारी मछली सहित) (सं०)	सामान्य	20	10.00	200.00	48.00	32.00	120.00	
		महिला	8		80.00	28.80	19.20	32.00	
		अनुसूचित जाति	6		60.00	21.60	14.40	24.00	
		अनुसूचित जनजाति	1		10.00	3.60	2.40	4.00	
		कुल	35		350.00	102.00	68.00	180.00	
19	प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) (सं०)	सामान्य	5	25.00	125.00	30.00	20.00	75.00	
		महिला	3		75.00	27.00	18.00	30.00	
		अनुसूचित जाति	2		50.00	18.00	12.00	20.00	

	कुल	10		250.00	75.00	50.00	125.00	
Category-wise Sub total	सामान्य			12374.72	2969.93	1979.96	7424.83	
	महिला			5601.50	2016.54	1344.36	2240.60	
	अनुसूचित जाति			3339.94	1202.38	801.59	1335.98	
	अनुसूचित जनजाति			292.84	105.42	70.28	117.14	
Total				21609.00	6294.27	4196.18	11118.54	

611
10/02/25

[Signature]
सरकार के अपर सचिव
[Signature]